# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 12/2018

रामू लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री भौंरीलाल शर्मा, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर (राज.)।

.......अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।

........... रेस्पाडेन्ट

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 नामान्तकरण संख्या 164 दिनांक 23.11.1982 ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का मोहनपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में रामजीलाल पुत्र स्व. श्री भौंरीलाल की जगह रामूलाल पुत्र स्व. भौंरीलाल का नाम दुरूस्ती करवाने के संबंध में।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

निर्णय दिनांकः 31.05.2018

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 23.11.1982 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 164 स्वीकार हुआ है जिसमें अपीलांट का नाम सहबन से रामूलाल पुत्र स्व. भौंरीलाल के स्थान पर रामजीलाल स्व. भौंरीलाल दर्ज कर दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 03.04.2018 को मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार बस्सी द्वारा पत्रांक 133 दिनांक 15.05.2018 से वांछित नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति हुई जो शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपीलान्ट का राशन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक एवं पुलिस आई.डी. कार्ड की छायाप्रति पेश की गयी। छायाप्रतियां शामिल मिसल की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने आगे कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 164 में वर्णित ग्राम श्यामपुरा, तहसील बस्सी स्थित कृषि भूमि अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी भूमि है। अपीलान्ट व उसके भाईयों को उपरोक्त वर्णित भूमि अपने पिता स्व. श्री भौंरीलाल की विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद उनके वारिसान पुत्रों रामूलाल, जगदीश, मोहनलाल पुत्र स्व. भौंरीलाल के नाम नामान्तकरण विरासत के आधार पर दिनांक 23.11.1982 को तहसीलदार बस्सी द्वारा तस्दीक किया गया जिसमें नामान्तकरण में गलती से अपीलान्ट को उसके घर पर बोलने वाला नाम रामजीलाल दर्ज करवा दिया गया। जबकि अपीलान्ट के समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पुलिस आई.डी., आदि में अपीलान्ट का नाम रामूलाल पुत्र स्व. भौंरीलाल ही है। अपीलाधीन नामान्तकरण के आधार पर अपीलांट का नाम जमाबन्दी में भी रामजीलाल अंकित हो गया। अपीलान्ट को ग्राम श्यामपुरा में रामजीलाल के नाम से जाना जाता है जबकि अपीलान्ट का सरकारी रिकार्डेड नाम रामूलाल है। चूंकि अपीलान्ट एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार है तथा

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

Scanned by CamScanner

पुलिस सेवा में कार्यरत होने से नामान्तकरण तस्दीक होते समय ग्राम में मौजूद नहीं था एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण में नाम की ही त्रुटि है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 164 दिनांक 23.11.1982 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बस्सी को अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम रामजीलाल पुत्र स्व. भौंरीलाल की जगह रामूलाल पुत्र स्व. भौंरीलाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड को सही करवाने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण विधिपूर्वक व न्यायसंगत है तथा नियमों की पालना करते हुए ही खोला गया है इसमें केवल त्रुटिवश अपीलांट का नाम गलती से रामूलाल के स्थान पर रामजीलाल दर्ज किया गया है जिसमें शुद्धि हेतु पैरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। साथ ही अपीलाण्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर भी गौर किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 164 ग्राम श्यामपुरा, तहसील बस्सी के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलांट के पिता के फौत होने पर अपीलांट के पिता की भूमि का नामान्तकरण अपीलांट व उसके भाईयों के नाम पर खोला गया। जिसमें अपीलान्ट का नाम रामजीलाल अंकित किया गया है जबकि अपीलान्ट का सरकारी रिकार्डेड नाम रामूलाल है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 164 निर्णित दिनांक 23.11.1982 ग्राम श्यामपुरा में अंकित रामजीलाल के स्थान पर रामूलाल दर्ज किया जावें। शेष इन्द्राजात यथावत रखे जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बस्सी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/5/18

( डॉ.मोहनलाल यादव )
अति.कलेक्टर-प्रथम,
जयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट-प्रथम
कलक्ट्रेट, जयपुर

Scanned by CamScanner